

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा

(पीठसीन अधिकारी प्रशासन गांव के संग/कैम्प कोर्ट 2021)

पीठसीन अधिकारी :- श्रीमती शकुन्तला चौधरी आर0ए0एस0

उनवान

सौजन्य कुमार

बनाम

लादूराम ठादि

दावा बाबत :- S.S. RTACT

मुकदमा नम्बर :- 160/2021

निर्णय दिनांक :- 20-10-2021

वादी की ओर से वकील धर्मपाल कोरवाला की व प्रतिवादी सं० 1 की ओर से वकील सतवीर कौलीवाल की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 20-10-2021 को मुझ शकुन्तला चौधरी उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि

रोही भोजा चक 9 AM 5 के खाता सं० 140/138 के मु० न० 30 के किला न० 8/2, 3/2 कुल 0.316 है कारनी खोतेवारी प्रतिवादी सं० 1 के नाम व रोही चक 13 AM 5 के खाता सं० 101/97 के मु० न० 26 के किला न० 22/1, 23 कुल 0.236 है, मु० न० 27 के किला न० 4, 5, 8, 9, 12, 13 प्रत्येक किला के 0.253 है कुल 1.7540 है जिसमें गहरी 1.6520 है, रास्ता 0.051 है, खाला 0.051 है खोतेवारी प्रतिवादी सं० 1 के नाम राजस्व रिन्दास के पुत्र है उक्त वाद मुक्ति में से प्रतिवादी सं० 1 के बजाए वादी व प्रतिवादी 1 व हिस्सा कारवांर के खोतेवार काश्तकार कौमित किये जाते है यदि कृषि मुक्ति में कौ के रहने है तो रहने मुक्त होने के उपरान्त ही राजस्व रिन्दास में कुल थराभय किया जावे राजीनामा को डिक्री का माता पठा जावे।

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 20-10-2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(शकुन्तला चौधरी)

(डिवि प्रभारी) R.A.S.

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

प्र. गा. के संग अ-2021  
भादरा, जिला हनुमानगढ़

स/१९१ ल/१